

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1994/आश्विन 8, 1916
No. 408] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1994/ASVINA 8, 1916

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

सा. का. नि. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि कनिष्ठ लिए अतिमारोधी निमित्तियों का चिकित्सीय प्रामाणिकता नहीं है और यह संभाव्य है कि उनमें मानव के लिए जोखिम अतर्ग्रस्त हो तथा लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि इन औषधियों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 578(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में, क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थातः—

46. काबलिन पेक्टिन या एट्टापल्गाइट या सक्रियित काण्ट कोयला से युक्त अति-साररोधी विनिमित्तियाँ ।
47. फूथायल सल्फाथीयजोल या सल्फागुनाइडिन या सकिनायल सल्फाथायजाल से युक्त अतिसाररोधी विनिमित्तियाँ ।
48. नियोमाइलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या डिहाइड्रोस्ट्रेप्टो माइसिन, जिसके अंतर्गत उनके अपने नमक या एस्टर भी हैं, से युक्त अतिसाररोधी विनिमित्तियाँ ।
49. बासलिकिन्मा उपयोग के लिए डाइफेनोक्सीलाइट या लोपरमाइड या एट्रोपाइन या वेलाडोना, जिसके अंतर्गत उनके नमक या एस्टर भी हैं या मेटाबोलाइट हाइड्रास्को माइन या उनके निष्कर्षण या उनके अल्कालायड से युक्त द्रव मौखिक अतिसाररोधी अथवा कोई अन्य खुराक रूप ।
50. बाल चिकित्सा उपयोग के लिए हैनो जेनकून हाइड्रोक्सीक्सीनोलिन से युक्त द्रव मौखिक अतिसाररोधी या कोई अन्य खुराक रूप ।
51. इलेक्ट्रोलाइट सहित अतिसाररोधी का नियत खुराक संयोजन ।

(सं. एकम 11014/9/94-डी. एम. एम. एंड पी. एफ. ए.)

शैलजा चन्द्र, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसके लिए दिनांक 23-7-83 के सा. का. नि. 578(अ) का अवलोकन करें । तदन्तर, इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. सा. का. नि. सं. 49(अ), दिनांक 31-1-1984
2. सा. का. नि. सं. 322 (अ), दिनांक 3-5-1984
3. सा. का. नि. सं. 363(अ), दिनांक 22-11-1985
4. सा. का. नि. सं. 700(अ), दिनांक 15-6-1988

5. सा. का. नि. सं. 1057(अ), दिनांक 3-11-88
6. सा. का. नि. सं. 743(अ), दिनांक 10-8-1989
7. सा. का. नि. सं. 999(अ), दिनांक 26-12-1990
8. सा. का. नि. सं. 69(अ), दिनांक 11-2-1991
9. सा. का. नि. सं. 304(अ), दिनांक 7-6-1991
10. सा. का. नि. सं. 444(अ), दिनांक 30-4-1992

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deptt. of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1994

G.S.R. 731(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of certain anti-diarrhoeal preparations do not have therapeutic justification and are likely to involve risk to human beings and it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of these drugs in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (22 of 1940), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 578(E), dated 23rd July, 1983 namely ;—

In the table appended to the said notification after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be added namely :—

46. Antidiarrhoeal formulations containing Kaolin or Pectin or Attapul-gite or Activated Charcoal.
47. Antidiarrhoeal formulations containing Phthalyl Sulphathiazole or Sulphaguanidine or Succinyl Sulphathiazole.
48. Antidiarrhoeal formulations containing Neomycin or Streptomycin or Dihydrostreptomycin including their respective salts or esters.
49. Liquid Oral antidiarrhoeals or any other dosage form for paediatric use containing Diphenoxylate or Loperamide or Atropine or Belladonna including their salts or esters or metabolites Hyoscyamine or their extracts or their alkaloids.

50. Liquid oral antidiarrhoeals or any other dosage form for paediatric use containing halogenated hydroxyquinolines.
51. Fixed dose combination of antidiarrhoeals with electrolytes.

[No. X. 11014/9/94-DMS & PFA]

SHAILAJA CHANDRA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide GSR No. 578(E), dated 23-7-83 and subsequently amended by :—

1. GSR No. 49(E), dated 31-1-1984
2. GSR No. 322(E), dated 3-5-1984
3. GSR No. 865(E), dated 22-11-1985
4. GSR No. 700(E), dated 15-6-1988
5. GSR No. 1057(E), dated 3-11-1988
6. GSR No. 743(E), dated 10-8-1989
7. GSR No. 999(E), dated 26-12-1990
8. GSR No. 69(E), dated 11-2-1991
9. GSR No. 304(E), dated 7-6-1991
10. GSR No. 444(E), dated 30-4-1992